

कार्यालय ग्राम पंचायत –

जनपद पंचायत –, जिला –(म.प्र.)

क्र./ (ग्रा.स./ग्रा.पं.)/20..... /

दिनांक/...../20.....

आदेश

देश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है (मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र क्रमांक 266 दिनांक 04.07.2019 तथा वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1410-957-2018-दस-2 के तहत मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) में संशोधन अनुसार)। उपरोक्तानुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार सात अशासकीय सदस्य एतद् द्वारा नामनिर्देशित किये जाते हैं। समिति की बैठक में निम्न सात अशासकीय नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा सदस्य श्रीको जैवविविधता प्रबंधन समितिका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

क्र.	सदस्य का नाम एवं पता	जाति	विषय विशेषज्ञ	पद
1				अध्यक्ष
2			जड़ी बूटी विशेषज्ञ	सदस्य
3			कृषक	सदस्य
4			गैरकाष्ठ वन उपज संग्राहक/ व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक)	सदस्य
5			सामुदायिक कार्यकर्ता	सदस्य
6			शिक्षाविद्	सदस्य
7			किसी संगठन का कोई प्रतिनिधि	सदस्य

समिति गठन में निम्न नियमों का पालन किया गया है:-

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में नामनिर्देशित सात व्यक्तियों (जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी) को स्थानीय जानकार व्यक्तियों – जड़ी-बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर काष्ठ वन उपज संग्राहक/व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक), उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि में से लिया जाये,
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्याओं का अनुपात जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये,
3. समस्त सदस्य स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिये एवं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

जैव विविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों (वन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मछलीपालन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों) को एतद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है। समिति की बैठक में छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों सदस्यों में से विशेष आमंत्रित सदस्य श्री विभाग.....को जैवविविधता प्रबंधन समिति..... का सचिव नामांकित किया गया है।

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

क्र.	पदनाम	कार्यालय का पता	विभाग	पद (सचिव / सदस्य)
1			वन	
2			किसान कल्याण एवं कृषि विकास	
3			पशुपालन विभाग	
4			स्वास्थ्य	
5			मछलीपालन	
6			शिक्षा विभाग	

जैवविविधता प्रबंधन समिति का संपर्क पता निम्नानुसार होगा :-

जैवविविधता प्रबंधन समिति

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत / विकास खंड.....

जिला

पिन कोड.....

संपर्क दूरभाष / मोबाईल / ईमेल.....

.....

संलग्न : जैवविविधता प्रबंधन समिति के अशासकीय एवं विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों का व्यक्तिगत संपर्क का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सचिव / सरपंच

(हस्ताक्षर सील सहित)

ग्राम पंचायत -

जनपद पंचायत -

जिला -(म.प्र.)

पृ. क्र./ (ग्रा.स./ ग्रा.पं.)/ 20..... /

दिनांक / / 20.....

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, प्रथम तल, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल,
2. कलेक्टर, जिला(म.प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत(म.प्र.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत(म.प्र.)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत(म.प्र.)
6. सर्व संबंधित सदस्यों/ विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव/ सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)

परिशिष्ट-1

जैवविविधता प्रबंधनसमिति के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित
शासकीय पदाधिकारियों का संपूर्ण पता

सदस्यगण

क्र.	सदस्य का नाम	पद	संपूर्ण पता	संपर्क (दूरभाष/माबाईल/ईमेल)
1		समिति अध्यक्ष		
2		सदस्य		
3		सदस्य		
4		सदस्य		
5		सदस्य		
6		सदस्य		
7		सदस्य		

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

क्र.	शासकीय सदस्य का नाम	विभाग एवं विभागीय पदनाम	संपूर्ण पता	संपर्क (दूरभाष/माबाईल/ईमेल)
1		समिति सचिव		
2				
3				
4				
5				
6				
7				

सचिव/सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)

कार्यालय

नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम – (म.प्र.)

क्र./वार्ड क्रमांक/नगर निगम/20..... / दिनांक/...../20.....

आदेश

देश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के वार्ड क्रमांक स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है (मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र क्रमांक 266 दिनांक 04.07.2019 तथा वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1410-957-2018-दस-2 के तहत मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) में संशोधन अनुसार)। उपरोक्तानुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार सात अशासकीय सदस्य एतद् द्वारा नामनिर्देशित किये जाते हैं। समिति की बैठक में निम्न सात अशासकीय नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा सदस्य श्री को जैवविविधता प्रबंधन समितिका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

क्र.	सदस्य का नाम एवं पता	जाति	विषय विशेषज्ञ	पद
1				अध्यक्ष
2				सदस्य
3				सदस्य
4				सदस्य
5				सदस्य
6				सदस्य
7				सदस्य

समिति गठन में निम्न नियमों का पालन किया गया है:-

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में नामनिर्देशित सात व्यक्तियों (जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी) को स्थानीय जानकार व्यक्तियों – जड़ी-बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर काष्ठ वन उपज संग्राहक/व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक), उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि/सामुदायिक कार्यकर्ता/शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि में से लिया जाये,
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्याओं का अनुपात जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये,
3. समस्त सदस्य स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिये एवं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

जैव विविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों (वन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मछलीपालन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों) को एतद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है। समिति की बैठक में छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों सदस्यों में से विशेष आमंत्रित सदस्य श्री विभाग.....को जैवविविधता प्रबंधन समिति..... का सचिव नामांकित किया गया है।

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

क्र.	पदनाम	कार्यालय का पता	विभाग	पद (सचिव / सदस्य)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

जैवविविधता प्रबंधन समिति का संपर्क पता निम्नानुसार होगा :-

जैवविविधता प्रबंधन समिति

कार्यालय वार्ड क्रमांक

नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम

जिला

पिन कोड.....

संपर्क दूरभाष / मोबाईल / ईमेल.....

.....

संलग्न : जैवविविधता प्रबंधन समिति के अशासकीय एवं विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों का व्यक्तिगत संपर्क का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सी.एम.ओ. / आयुक्त
(हस्ताक्षर सील सहित)

वार्ड क्रमांक -,
नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम

.....

पृ. क्र./वार्ड क्रमांक/नगर निगम/20..... / दिनांक/...../20.....

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, प्रथम तल, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल,
2. कलेक्टर, जिला(म.प्र.)
3. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
4. सर्व संबंधित सदस्यों/विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सी.एम.ओ./आयुक्त
(हस्ताक्षर सील सहित)

वार्ड क्रमांक -,
नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
.....